

अध्याय-I

संक्षिप्त विवरण

अध्याय – I

संक्षिप्त विवरण

1.1 राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी भाग के हिमालयीन क्षेत्र में स्थित है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की ऊँचाई में समुद्र तल से 350 से 6,975 मीटर तक की भिन्नता है, जिससे जलवायु आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय से शुष्क शीतोष्ण पर्वतीय में परिवर्तित हो जाती है। यह राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 17 वां (55,673 वर्ग कि.मी.) एवं जनसंख्या की दृष्टि से 21 वां (2011 की जनगणना के अनुसार) सबसे बड़ा राज्य है।

हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी राज्य है, तदनुसार यह भारत सरकार से वित्तीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण के अनुपात में प्राप्त करने हेतु पात्र है जो विशेष श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले राज्यों से भिन्न है जहां केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के अनुपात में प्राप्त होती है। सामाजिक सूचकांक जैसे साक्षरता दर एवं जन्म के समय शिशु मृत्यु दर दर्शाते हैं जो कि अखिल भारतीय औसत की तुलना में राज्य की साक्षरता दर एवं शिशु मृत्यु दर बेहतर स्थिति में है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)की आबादी का प्रतिशत भी अखिल भारतीय औसत से काफी कम था (परिशिष्ट-1)।

1.1.1 हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक होती है, क्योंकि यह किसी समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है, जैसा कि तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1: राष्ट्रीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां (चालू मूल्य पर)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम)(₹ करोड़ में)	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम) (₹ करोड़ में)	1,14,239.41	1,25,633.65	1,38,351.06 ^क	1,53,844.80 ^ख	1,65,472.39 ^ग
विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.09	9.97	10.12	11.20	7.56

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।


क- दूसरा संशोधित प्राक्कलन, ख- पहला संशोधित प्राक्कलन, ग- अग्रिम प्राक्कलन

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में गिरावट के कारण 7.56 प्रतिशत तक आ गई। 2011-12 से 2019-20 की अवधि में चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर 10.82 प्रतिशत थी, जो विशेष श्रेणी राज्यों की 11.24 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर से थोड़ी सी कम थी।

1.1.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान

अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान के परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक प्रकृति की अन्य आर्थिक गतिविधियों जैसे वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खनन सहित कृषि गतिविधियों से सम्बन्धित है। द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण-कार्य एवं विद्युत, गैस आपूर्ति इत्यादि जैसी सेवाओं से सम्बन्धित है। जबकि तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्रों से सम्बन्धित है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय भागीदारी में परिवर्तन तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय विकास चार्ट-1.1 एवं चार्ट-1.2 में दर्शाया गया है:


चार्ट-1.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2015-16 से 2019-20)



आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

2019-20 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि के मुकाबले द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर में गिरावट देखी गई, जैसा कि चार्ट-1.2 से देखा जा सकता है:

चार्ट-1.2: सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय विकास



आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में प्राथमिक क्षेत्र के प्रतिशत में गिरावट वानिकी एवं लकड़ी (लॉगिंग) के योगदान में कमी के कारण हुई। वर्ष 2016-17 में, प्राथमिक क्षेत्र में वानिकी एवं लकड़ी (लॉगिंग) का अंशदान ₹ 6,731.02 करोड़ था जबकि 2017-18 में यह ₹ 4,762.35 करोड़ रह गया जो वर्ष 2016-17 की तुलना में 29.25 प्रतिशत कम था। 2016-17 एवं 2017-18 के मध्य विभिन्न वृक्षों एवं औषधीय पौधों के परिमाण (वॉल्यूम)¹ की तुलना करने के पश्चात यह देखा गया कि वृक्षों एवं औषधीय पौधों की परिमाण की गणना में बड़ी गिरावट थी। परिमाण की इस गिरावट का कारण मौसमी परिस्थितियां अर्थात् वर्षा, बर्फबारी एवं अन्य प्राकृतिक कारक रहे, जो वर्ष 2017-18 में इतने सहायक नहीं थे।

इस प्रकार, 2017-18 के दौरान वानिकी एवं लकड़ी (लॉगिंग) के तहत वृक्षों, औषधीय पौधों इत्यादि के कम परिमाण के कारण प्राथमिक क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद घट गया था। आगामी वर्ष 2018-19 में पशुधन द्वारा अपेक्षा से अधिक अंशदान, साथ ही परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण इस अवस्था में सुधार हुआ।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के नियमानुसार राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधायिका के समक्ष रखता है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश का राज्य वित्त

¹ देवदार के पेड़ों में 2016-17 में 60,600 घनमीटर से 2017-18 में 26,009 घनमीटर तक और अन्य कायल, फर/सजावट, इत्यादि की मात्रा में भारी गिरावट देखी गई। औषधीय जड़ी-बूटियों की मात्रा में भी गिरावट आई जो 2016-17 में 4,240 टन से 2017-18 में 1,791 टन रह गई।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोषागारों, कार्यालयों एवं लेखाओं का संचालन करने वाले विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों तथा प्रारंभिक सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे वार्षिक रूप से बनाते हैं। इन लेखाओं की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2019-20 के राज्य के वित्त लेखों एवं विनियोजन लेखों से कोर डेटा (मुख्य विवरण) तैयार किया है। सम्मिलित अन्य स्रोत निम्नवत है:

- वर्ष 2019-20 का राज्य का बजट डेटा (विवरण) का एक महत्वपूर्ण स्रोत है: राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की तुलना में अनुमानों का आंकलन करने, साथ ही प्रासंगिक नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इसके कार्यान्वयन के अनुपालन की दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु;
- हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों एवं कोषागारों (लेखांकन के साथ-साथ मनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) से प्राप्त अन्य विवरण;
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े तथा राज्य से सम्बन्धित अन्य सांख्यिकीय; तथा
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों, राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार की श्रेष्ठ कार्य प्रणाली एवं दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में भी किया जाता है। राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा मार्च 2021 में टिप्पणी हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था; सरकार के उत्तर/दृष्टिकोण मई 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे तथापि अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) राज्य सरकार के साथ 28 जून 2021 को एक एग्जिट कान्फ्रेंस आयोजित की गई, उनके उत्तरों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित चार अध्यायों में निरूपित किया गया है:

अध्याय-I	संक्षिप्त विवरण
	यह अध्याय प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण तथा अन्तर्निहित डेटा(विवरण) का वर्णन, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय-प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों का वृहद-राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटों/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय प्रास्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

<p>अध्याय - II</p>	<p>राज्य के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त लेखाओं के आधार पर राज्य वित्त का विस्तृत परिप्रेक्ष्य विगत वर्ष में सम्बन्धित प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा तथा प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।</p>
<p>अध्याय - III</p>	<p>बजट प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोजन लेखाओं पर आधारित है एवं राज्य सरकार के विनियोजन व आवंटन प्राथमिकताओं का विश्लेषण कर बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन प्रस्तुत करता है।</p>
<p>अध्याय - IV</p>	<p>लेखाओं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं (परंपराओं) की गुणवत्ता यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखाओं की गुणवत्ता तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों व विनियमों की अनुपालन न करने के मुद्दों की व्याख्या करता है।</p>

1.4 सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा गया है:

भाग-I राज्य की समेकित निधियां (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त ऋण (बाजार ऋण, बांड, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों की चुकौती से राज्य सरकार को प्राप्त समस्त धनराशि सम्मिलित है। इस निधि से धनराशि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त तरीके से एवं नियमानुसार तथा किसी उद्देश्यार्थ ही विनियोजित की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों का वेतन, ऋण चुकौती इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभारित है तथा उन पर विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधायिका की सहमति आवश्यक है।

भाग-II राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधायिका ने कानून द्वारा स्थापित किया है तथा इसे राज्यपाल के अधीन रखा गया है ताकि वह व्यय जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत करने हेतु लम्बित है ऐसे आकस्मिक व्यय अग्रिमों को निपटान हेतु सक्षम बनाया जा सके। इस निधि को राज्य की समेकित निधि से सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष से व्यय को डेबिट करके पुनः प्राप्त किया जाता है।

भाग-III राज्य के लोक लेखे (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त समस्त सार्वजनिक धन लोक लेखा में जमा होता है, जहां सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा में लघु बचतें व

भविष्य निधि, निक्षेप (सब्याज व ब्याज रहित), प्रेषण व उचंत शीर्ष (जिसमें दोनों अस्थाई शीर्ष, अंतिम बुकिंग हेतु लम्बित हैं) जैसे वापस चुकाने वाले भुगतान समाविष्ट होते हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा के तहत सम्मिलित होता है। लोक लेखा हेतु विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती।

बजट दस्तावेज

भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमति प्राप्तियों व व्यय के विवरण राज्य की विधानसभा के सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना संवैधानिक रूप से अपेक्षित है (अनुच्छेद 202)। “वार्षिक वित्तीय विवरण” मुख्य बजट दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त, बजट में अन्य व्ययों को राजस्व लेखे पर व्यय से अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संचयी करों/शुल्कों के अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वो सभी व्यय सम्मिलित हैं जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते। यह उन खर्चों से सम्बन्धित है जो सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज एवं विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा लिए ऋणों पर ब्याज भुगतानों तथा विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (तब भी जब कुछ अनुदान परिसंपत्ति के निर्माण हेतु हो) पर किए गए हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्ति:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों के तहत निवल लेन-देन, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम इत्यादि;
- **ऋण-भिन्न प्राप्ति:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां


पूँजीगत व्यय में भू-अधिग्रहण, भवन, मशीन, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए ऋण और अग्रिम पर व्यय सम्मिलित है।

वर्तमान में, हमारे पास सरकारी लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कि कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है।

	लेन देन की विशेषता	वर्गीकरण
महानियंत्रक, लेखा द्वारा मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में मानकीकरण	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि / विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार-अंक)
	सह-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो -अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (तीन -अंक)
राज्यों के लिए छोड़ गया लचीलापन	योजना	उप- शीर्ष (दो -अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो -अंक)
	आर्थिक स्वरूप/गतिविधि	वस्तु शीर्ष-वेतन, लघु निर्माण कार्य आदि (दो -अंक)

यह कार्य-सम्बन्धी वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम तथा व्यय के प्रयोजन की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजीगत ऋण इत्यादि में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। सरकारी लेखाओं का वर्गीकरण **चार्ट -1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखाओं की संरचना



स्रोत: बजट नियमावली

बजट प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के नियमानुसार, राज्य का राज्यपाल वर्ष 2019-20 की राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण “वार्षिक वित्तीय विवरण” के रूप में राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 203 की शर्तानुसार, यह विवरण अनुदान/विनियोजनों की मांग के रूप में राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसके अनुमोदनोपरांत विधायिका समेकित निधि में से अपेक्षित धन को विनियोजन के लिए प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोजन विधेयक पारित करती है। कुछ राज्य एक से अधिक समेकित बजट भी रखते हैं- ये सह बजट हो सकते हैं जैसे बाल बजट, कृषि बजट, पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति) बजट, विकलांगता बजट इत्यादि।

राज्य बजट नियम-पुस्तिका बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है तथा राज्य सरकार को इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने एवं बजटीय अनुमानों को बनाने में मार्गदर्शन देती है। राज्य सरकार के बजट तथा अन्य बजटीय उपक्रमों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में वर्णित है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट)

तालिका 1.2, वर्ष 2018-19 के वास्तविक वित्तीय परिणामों की तुलना में 2019-20 हेतु अनुमानित बजट के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है:

तालिका 1.2: अनुमानित बजट की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	संघटक	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	अनुमानित बजट से वास्तविक का प्रतिशत	सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक का प्रतिशत
1	कर राजस्व	7,573	7,921	7,624	96	5
2	कर-भिन्न राजस्व	2,830	2,443	2,501	102	2
3	संघीय करों/शुल्कों का अंश	5,430	7,398	4,678	63	3
4	अनुदान और सहायता	15,117	15,985	15,939	100	10
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	30,950	33,747	30,742	91	19
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	22	27	21	78	0
7	अन्य प्राप्तियां	9	-	2		0
8	उधार व अन्य देयताएं (क)	3,512	1,536	5,597	364	3
9	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	3,543	1,563	5,620	360	3
10	कुल प्राप्तियां (5+9)	34,493	35,310	36,362	103	22
11	राजस्व व्यय, जिसमें	29,442	36,089	30,730	85	19
12	ब्याज भुगतान	4,022	4,552	4,234	93	3
13	पूंजीगत व्यय	5,051	5,037	5,632	112	3
14	पूंजीगत परिव्यय	4,583	4,580	5,174	113	3
15	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	468	457	458	100	0
16	कुल व्यय (11+13)	34,493	41,126	36,362	88	22
17	राजस्व घाटा (-) / राजस्व अधिशेष (+) (5-11)	1,508	(-) 2,342	12	(-) 1	0
18	राजकोषीय घाटा {16-(5+6+7)}	3,512	7,352	5,597	76	3
19	प्राथमिक घाटा (18-12)	-510	2,800	1,363	49	1

स्रोत: वित्त लेखे और राज्य के बजट दस्तावेज

क) उधार और अन्य देयताएं: निवल लोक ऋण (प्राप्तियां-संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियां - संवितरण) + निवल प्रारंभिक और समापन नकद शेष।

1.4.2 सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं एवं किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों का ब्यौरा रखते हैं। देयताओं में मुख्य रूप से भारत सरकार से प्राप्त आंतरिक ऋण, ऋण व अग्रिम, लोक लेखों से मिली प्राप्तियां और आरक्षित निधियां आती हैं, तथा परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा दिए गए

ऋण व अग्रिम एवं पूंजीगत परिव्यय तथा नकद शेष समाविष्ट हैं। राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांक्षित स्थिति नीचे तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सारांक्षित स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्ति				
	31 मार्च 2019 से	31 मार्च 2020 से	प्रतिशत में वृद्धि		31 मार्च 2019 से	31 मार्च 2020 से	प्रतिशत में वृद्धि		
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	35,363.18	39,527.78	12	क	सकल पूंजी परिव्यय	38,946.98	44,120.89	13
ख	भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम तथा ऋण	1,061.77	1,043.82	(-2)	ख	अग्रिम तथा ऋण	6,953.33	7,390.50	6
आकस्मिक निधि									
	आकस्मिक निधि	5.00	5.00	--		--	--	--	
लोक लेखा									
क	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	14,349.52	15,537.13	8	क	रोकड़ बकाया (इमकेड राशि में निवेश)	52.70	1,060.18	1912
ख	निक्षेप	3,206.58	3,380.30	5					
ग	आरक्षित निधि	317.60	2,722.31	757					
घ	प्रेषण	509.49	606.29	19					
ङ	उचंचत एवं विविध	74.49	(-) 1,330.44	(-) 1,886		प्राप्तियों पर व्यय की संचयी अधिकता	8,934.62	8,920.62	--
कुल:		54,887.63	61,492.19	12.03	कुल:		54,887.63	61,492.19	12.03

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

सरकार जब राजस्व के माध्यम से एकत्र पूंजी से अधिक खर्च करती है, तब घाटा उठती है। सरकारी घाटे से उबरने हेतु कई उपाय हैं।

घाटों को उधार लेकर वित्तपोषित करना चाहिए जो सरकारी ऋण को निश्चित रूप से बढ़ाता है। घाटे एवं ऋण की अवधारणा का गहन संबंध है। घाटों को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है जो ऋण का भण्डार जोड़ता जाता है। यदि सरकार वर्ष-दर-वर्ष लगातार उधार लेती रहे तो यह ऋण के संचय (संचित ऋण) में परिणत हो जाता है तथा सरकार को ब्याज के रूप में अधिकाधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं भी ऋण को बढ़ाते हैं।

उधार लेकर सरकार भावी पीढ़ी पर खपत कम करने का बोझ स्थानांतरित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रह रहे लोगों को बांड जारी करके उधार लेती है परंतु तकरीबन बीस सालों बाद करों को बढ़ाकर या खर्च घटा कर यह बांड का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार

का लोगों से उधार लेना निजी क्षेत्रों हेतु उपलब्ध बचतों को भी घटाता है। यह पूंजीगत निर्माण एवं विकास को इस हद तक घटा देता है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' की तरह कार्य करता है।

हालांकि, यदि सरकारी घाटे उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं तो आय अधिक होगी तथा तदनुसार बचत भी अधिक होगी। इस स्थिति में सरकार एवं उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करती है, तो भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते कि ऐसे निवेशों पर मिला प्रतिफल व्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि द्वारा वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकेगा। इस प्रकार ऋण को बोझ नहीं समझना चाहिए। ऋण में वृद्धि को सकल आर्थिक वृद्धि (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद) से आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि करके या व्यय में कटौती करके घटाया जा सकता है। हालांकि, सरकारी व्यय में कटौती पर अधिक जोर दिया गया है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना व बेहतर प्रशासन तथा सरकारी गतिविधियों को और अधिक दक्ष बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

साथ ही सरकार का लोगों से उधार लेना निजी क्षेत्रों हेतु उपलब्ध बचतों को भी घटाता है। यह पूंजीगत निर्माण एवं विकास को इस हद तक घटा देता है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' की तरह कार्य करता है।

1.5.1 मुख्य राजकोषीय मापदण्डों पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

राज्य सरकार ने, राजस्व घाटा खत्म करके, राजकोषीय घाटा एवं समग्र/ बकाया ऋण संतोषजनक स्तर तक घटाकर, उन्नत ऋण प्रबंधन स्थापित करके तथा मध्यावधि रूपरेखा की पारदर्शिता में सुधार सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, अप्रैल 2005 में पारित किया। इस संदर्भ में, यह अधिनियम राज्य सरकार को घाटा पूरा करने के उपाय एवं ऋण स्तर के सम्बन्ध में पालन किए जाने वाले परिणामात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2011 के संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार को 2011-12 तक राजस्व घाटा कम करना था एवं तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष बनाए रखना था, राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद से तीन प्रतिशत तक घटाना था एवं उसके बाद इसे इसी स्तर पर बनाए रखना था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह परिकल्पना भी की गई थी कि राज्य सरकार 2014-15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बकाया कुल ऋण को 40.1 प्रतिशत तक सीमित करेगी।

14वें वित्तायोग की संस्तुति के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में आगामी संशोधन अपेक्षित था, तथापि राज्य सरकार में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में अब तक संशोधन नहीं किया गया है।

राज्य सरकार का 14 वें वित्त आयोग के लक्ष्यों के प्रति मुख्य राजकोषीय विचलनों पर प्रदर्शन तालिका-1.4 में दिए गए हैं:

तालिका-1.4: 14 वें वित्त आयोग के प्रावधानों राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की अनुपालना

राजकोषीय मापदंड	राजकोषीय मापदंड एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय मापदंड	14वें वित्तयोग में निर्धारित राजकोषीय मापदंड	प्राप्तियां (₹ करोड़ में)				
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व अधिशेष बनाए रखना	राजस्व अधिशेष बनाए रखना	1,137	920	314	1,508	12
			✓	✓	✓	✓	✓
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	तीन या कम	तीन या कम	-1.90	-2.35	-2.80	-2.28	-3.38
			✓	✓	✓	✓	X
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	उपलब्ध नहीं	31.11*	36.06	37.60	36.88	35.29	37.60
			X	X	X	X	X

* स्रोत: लक्ष्य 14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से लिए गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को अब तक संशोधित नहीं किया गया था।

1.5.2 मध्यावधि राजकोषीय योजना

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमानुसार, राज्य सरकार से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी, बजट के साथ विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में राज्य सरकार के राजकोषीय लक्ष्य, रणनीतिक प्राथमिकताएं तथा राजकोषीय प्रबंधन हेतु तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्यों को बताया जाता है।

तालिका-1.5, 2019-20 के राज्य विधायिका को वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए गए मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए अनुमानों तथा वर्ष 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों के मध्य विचलन को दर्शाती है।

तालिका-1.5: 2019-20 के मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में दिए अनुमानों तथा वास्तविकों का तुलनात्मक अध्ययन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजकोषीय चर	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के अनुसार लक्ष्य/अनुमान	वास्तविक (2019-20)	विचलन (प्रतिशत में)
1	कर राजस्व	7,921	7,624	-3.75
2	कर-भिन्न राजस्व	2,443	2,501	2.37
3	केन्द्रीय करों का राज्यांश	7,398	4,678	-36.77
4	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	15,985	15,939	-0.29
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	33,747	30,742	-8.90
6	राजस्व व्यय	36,089	30,730	-14.85
7	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (5-6)	-2,342	12	100.51

क्रम सं.	राजकोषीय चर	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के अनुसार लक्ष्य/अनुमान	वास्तविक (2019-20)	विचलन (प्रतिशत में)
8	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	7,352	5,597	-23.87
9	ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	34.04	37.60	3.56
10	चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.50	7.56	-3.94

स्त्रोत: वित्त लेखा एवं बजट दस्तावेज

राज्य द्वारा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में राजकोषीय मानदण्डों (राजस्व घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटा तथा ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात) हेतु बनाए गए अनुमान, 14वें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुमानों के अनुक्रम एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुमानों के अनुक्रमानुसार नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 14वें वित्त आयोग में राजस्व अधिशेष बनाए रखने के लक्ष्य के विरुद्ध मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में वर्ष 2019-20 हेतु राजस्व घाटा निर्धारित किया गया था। इसी भांति, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के सापेक्ष राजकोषीय घाटा एवं ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के लक्ष्य क्रमशः 4.35 प्रतिशत तथा 34.04 प्रतिशत या उससे कम निर्धारित किए गए थे, जो 14वें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के समरूपी लक्ष्यों² के विपरीत थे।

इसके अतिरिक्त राजस्व घाटे/ अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे हेतु मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में लक्षित अनुमानों तथा वास्तविकों के मध्य उल्लेखनीय विचलन था: बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में ₹ 2,342 करोड़ के अनुमानित राजस्व घाटे के प्रति ₹ 12 करोड़ का राजस्व अधिशेष; बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में अनुमानित ₹ 7,352 करोड़ के राजकोषीय घाटे के प्रति ₹ 5,597 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ।


राजस्व घाटे/अधिशेष के वास्तविक आंकड़ों तथा अनुमानों के मध्य बड़ा अन्तर, बजट प्राक्कलनों की तुलना में विकासात्मक राजस्व व्यय में पर्याप्त रूप से कम राशि खर्च होने के कारण आया। यह दर्शाता है कि या तो राज्य सरकार ने बजट बनाते समय अनुमानित व्यय का सही आंकलन नहीं किया था अथवा राज्य सरकार में खर्च करने की क्षमता का अभाव था।

1.5.3 घाटे/अधिशेष की प्रवृत्ति

राज्य सरकार 2019-20 के दौरान 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट राजस्व अधिशेष के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। यद्यपि, वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य को ₹ 5,597 का राजकोषीय घाटा हुआ जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.38 प्रतिशत था। 2018-19 के दौरान हुआ ₹ 510 करोड़ का प्राथमिक

² सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत से कम; ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद 31.11 प्रतिशत

अधिशेष वर्तमान वर्ष (2019-20) के दौरान ₹ 1,363 करोड़ के घाटे में बदल गया। 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अवधि में इन घाटों की प्रवृत्ति चार्ट-1.4 में तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित घाटों की प्रवृत्ति चार्ट-1.5 में दर्शाई गई है राजकोषीय देयताओं के घटक एवं प्रवृत्ति तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इसकी प्रतिशतता चार्ट-1.6 में दी गई है।



राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों के प्रति राजस्व व्यय के आधिक्य का परिचायक है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमानुसार, राज्य को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को घटाना तथा तदोपरान्त राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था। राजस्व अधिशेष उधारों को घटाने में सहायता करता है। 2018-19 का ₹1,508 करोड़ का राजस्व अधिशेष 2019-20 में घट कर ₹12 करोड़ रह गया। प्रतिबद्धित राजस्व व्यय की उच्च प्रतिशतता राज्य द्वारा किए व्यय निर्णयों की गतिशीलता को घटाती है तथा दर्शाती है कि अपनी प्रतिबद्धित व्यय आवश्यकताओं का लेखा-जोखा करने के पश्चात् राज्य के पास सीमित राजस्व विस्तार है।

अतः राज्य सरकार को ऐसे प्रतिबद्धित व्ययों को कम करने तथा राजस्व संग्रहण के सुव्यवस्थितिकरण हेतु व्यय पक्ष में मध्यावधि सुधार करने की आवश्यकता है।


राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार की शुद्ध बढ़ी हुई देयताओं या उसके अतिरिक्त उधारों को प्रस्तुत करता है। घाटे को या तो अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक अथवा बाह्य) द्वारा अथवा लोक लेखा से अधिशेष निधियों का प्रयोग करके पूरा किया जा सकता है। विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान राजकोषीय घाटे (₹ 5,597 करोड़) में ₹ 2,085 करोड़ (₹ 3,512 करोड़) की वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.38 प्रतिशत था, जो 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

प्राथमिक घाटा

जब राजकोषीय घाटा सामान्यतः अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को प्रस्तुत करता है, ऐसे संसाधनों का कुछ भाग राजस्व लेखा पर घाटे वाले राज्यों के सन्दर्भ में, ब्याज भुगतानों के वित्त पोषण हेतु आवश्यक हो सकता है। ब्याज भुगतान, पूर्व दायित्वों के व्यय को दर्शाते हैं तथा वर्तमान व्यय से स्वतंत्र होते हैं। वर्तमान प्रकृति के असंतुलन को देखते हुए, इन भुगतानों को पृथक तथा कुल असंतुलनों से घटाया जाना चाहिए। प्राथमिक घाटा राज्य के वर्तमान वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। प्राथमिक घाटा होने का अर्थ है ब्याज के जाल से बाहर निकलने के बावजूद राज्य घाटे में है तथा उसे अपने उधारों का ब्याज चुकाने के लिए भी उधार लेना होगा। 2018-19 में हुआ ₹ 510 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष 2019-20 के दौरान ₹ 1,363 करोड़ के प्राथमिक घाटे में बदल गया।

चार्ट-1.6: राजकोषीय देयताओं एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



जैसा कि चार्ट 1.6 से देखा जा सकता है कि कुल बकाया देनदारियां 2015-16 में ₹ 41,197 करोड़ से बढ़कर 2019-20 के दौरान ₹ 62,212 करोड़ हो गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए कुल बकाया देनदारियों का अनुपात भी पिछले वर्षों में बढ़ा है और 2015-20 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निर्धारित राज्य के अपने लक्ष्य से काफी ऊपर रहा है।

1.6 लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् कुल ऋण तथा घाटे

राज्य वित्त की बेहतर छवि प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने की तथा राजकोषीय प्रचालनों को बजट से अलग संचालित करने की प्रवृत्ति है।

1.6.1 राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करने तथा राजकोषीय प्रचालनों को बजट से अलग संचालित करने से घाटे के आंकड़ें प्रभावित होते हैं। स्पष्ट देयताओं के आस्थगन के साथ-साथ समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करना, नई पेंशन योजना में अल्प अंशदान, निक्षेप ऋण शोधन निधि इत्यादि भी राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। घाटे के वास्तविक आंकड़ों तक पहुंचने के लिए ऐसी अनियमितताओं का विश्लेषण किया गया जिसे तालिका-1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.6 राजस्व तथा राजकोषीय घाटा, लेखापरीक्षा के बाद जांच

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (अत्योक्ति)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	पैरा संदर्भ
	(₹ करोड़ में)		
समेकित ऋण शोधन में योगदान न होना	271.50	271.50	2.5.2.1
प्रत्याभुति विमोच्य निधि में योगदान न होना	21.55	21.55	2.5.2.3
कुल	293.05	293.05	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण

1.6.2 लेखापरीक्षा के बाद-कुल लोक ऋण

हाल ही में संघ सरकार ने ऋण की अपनी परिभाषा में विस्तार किया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम में हुए 2018 के संशोधनों के अनुसार ऋण में अब लोक ऋण (आन्तरिक व बाह्य ऋण), लोक लेखा पर बकाया देयताएं तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या अन्य संस्था की वह वित्तीय देयताएं शामिल हैं, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण से उस तिथि के अंत तक नकद शेष से घटा कर सरकार को चुकानी पड़ती है या सेवा देनी पड़ती है।

बजट की व्याख्यात्मक टिप्पणी के अनुसार राज्य की ऋण देयताएं आन्तरिक ऋण, केन्द्र सरकार के ऋण, लोक लेखा पर देयताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अन्य ऋण देयताओं से मिलकर बनती है। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में कुल देयताओं की कोई सुस्पष्ट

परिभाषा नहीं है। यद्यपि, यह कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विशेष प्रयोजन वाहन एवं अन्य समकक्ष साधनों द्वारा लिए गए वे उधार, जिन्हें चुकाने की देयता राज्य सरकार की होती है उन्हें भी राज्य सरकार के उधार के रूप में ही माना जाता है। राज्य सरकार 2019-20 को समाप्त वर्ष के बकाया लोक ऋण में समेकित निधि पर देयताएं, लोक लेखा देयताएं तथा अन्य उधार सम्मिलित हैं जिन्हें तालिका-1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.7: बकाया ऋण/देयताएं के घटक

(₹ करोड़ में)

समेकित निधि पर देयताएं (लोक ऋण)	राशि
आन्तरिक ऋण (क)	39,527.77
बाजार ऋण	28,142.16
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	24.77
नाबार्ड से ऋण	2,755.76
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	125.40
मुआवजा व अन्य बन्ध पत्र	2,890.50
अन्य संस्थानों से ऋण	61.23
राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	5,527.95
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम (ख)	1,043.81
आयोजनेत्तर ऋण	2.75
राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	1,040.94
अन्य	0.12
लोक लेखा पर देयताएं (ग)	21,640.25
लघु बचत भविष्य निधि आदि।	15,537.13
जमा	3,380.81
आरक्षित निधि	2,722.31
कुल (क +ख+ ग)	62,211.83

इनमें, राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहन इत्यादि द्वारा वे उधार जिसके मूलधन तथा/अथवा ब्याज को राज्य बजट से चुकाया जाना है; जिनका राज्य सरकार द्वारा उधार लेकर वित्त पोषित किया हो, राज्य सरकार के एंसे निक्षेप कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों विशेष प्रयोजन वाहन इत्यादि द्वारा स्वयं की निधियों के प्रसार; तथा राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से लिए गए के ऋण जिनके मूलधन/ब्याज घटकों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों इत्यादि को नहीं की गई है, जैसे बजट से अलग संचालित किए गए राजकोषीय प्रचालन के कोई मामले नहीं थे।